

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,

मध्यप्रदेश।

विषय:- हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना कार्यक्रम वर्ष 2009.

संदर्भ:- नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम योजना वर्ष 2009 (कक्षा 01 से 08 तक) के संबंध में जारी राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश क्रमांक-राशिके0/ई0एण्ड0आर0/2009/1132 दिनांक 11/2/2009 एवं प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा का पत्र क्रमांक-17/प्र.स.स्कूल शिक्षा/09 दिनांक-6/2/09

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। विषयांकित योजनान्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी संदर्भित पत्रानुसार सुनिश्चित किया जाये।

2.-उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-44-27/2008/20-2 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2008 अनुसार समयबद्ध अध्ययन अध्यापन व्यवस्था तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र का प्रारंभ 01 अप्रैल 2009 से किया जाना है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व निश्चित अवधि में पाठ्य पुस्तकों छात्रों को उपलब्ध करायी जा सकें इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही समय-सीमा में करने का निर्णय लिया गया है -

- 2.1- दिनांक 28 फरवरी 2009 तक जिला स्तरीय डिपो पर समस्त पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराई जायें।
- 2.2- दिनांक 15 मार्च 2009 के पूर्व विकास खण्ड मुख्यालय पर पाठ्य पुस्तकों के सभी सेट उपलब्ध हो जायें।
- 2.3- दिनांक 20 मार्च 2009 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के सेट उपलब्ध कराये जायें।

- 2.4- दिनांक 25 मार्च, 2009 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के सेट तैयार कर लिए जायें। पाठ्य पुस्तकों के नंबर प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किये जायें।
- 2.5- जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं विद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जा सकें इस हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर जवाबदेही निर्धारित की जाये। निर्धारित समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
- 3- उक्त 2.4 के अनुक्रम में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संस्था प्राचार्य को पाठ्यपुस्तकों के सभी सेट निर्धारित समय पर छात्रों को वितरित कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिस स्तर पर विषयांकित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा उस स्तर के नोडल अधिकारी को उत्तरदायी मानकर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि यह स्थिति मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों के सेट उपलब्ध न कराने के कारण निर्मित हो रही है तो तदनुसार अवगत कराया जाये।
- 4- प्रदेश के सभी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को विषयांकित योजना का लाभ दिया जाना है। उक्त कक्षाओं में कुछ पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, अतः योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार रूप में किया जाये :-
- 4.1- कक्षा 9वीं एवं 10वीं के समस्त हितग्राही छात्र-छात्राओं को समस्त विषय की पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदाय की जायेंगी।
- 4.2- कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु भाषा की पुस्तकें तथा ऐच्छिक विषय के अंतर्गत वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की पुस्तकें ही मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। अतः ये पुस्तकें निगम द्वारा प्रदाय की जायेंगी।
- 4.3- कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कृषि, गृह विज्ञान, कला, फाईन आर्ट्स, उर्दू भाषा आदि जिन विषयों की पाठ्य पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित न की गयी हों उन पुस्तकों को हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उपलब्ध किसी भी स्थानीय निधि से नियमानुसार क्रय करने हेतु संस्था प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। गतवर्षानुसार प्राचार्य क्रय की गई पुस्तकों के देयक की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत

करेंगे। देयक में नियमानुसार कमीशन के कटोत्रे का उल्लेख किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों से प्राप्त बिल को संकलित कर निर्धारित प्रारूप में मांगपत्र लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित करेंगे।

4.4- पाठ्य पुस्तक निगम से प्रदाय होने वाली पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायें।

4.4.1- जिला स्तर से प्राप्त मांग संख्या अनुसार निगम के संबंधित क्षेत्रीय डिपो से पुस्तकें प्राप्त करने का दायित्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा। डिपो कार्यालय से ब्लाक स्तर तक पुस्तकों का परिवहन पूर्व वर्षों की प्रक्रियानुसार निगम द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तकें दिनांक-15/3/09 तक ब्लाक स्तर पर अनिर्धार्य रूप से पहुंचना चाहिए।

4.4.2- ब्लाक मुख्यालय तक उपरोक्त पुस्तकों के परिवहन की व्यवस्था विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की निगरानी में मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.4.3- विकासखण्ड स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का संधारण विकासखण्ड मुख्यालयों के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों अथवा अन्य शासकीय सुरक्षित भवनों में किया जाएगा।

4.4.4- प्रत्येक हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल के प्राचार्य पाठ्य पुस्तकें विकासखण्ड मुख्यालय से प्राप्त करेंगे।

4.4.5- जिन जिलों/विकास खण्डों में आदिवासी विकासखण्ड शामिल हैं उनमें विषयांकित योजना के क्रियान्वयन में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग किया जायेगा।


4.4.6- विकासखण्ड स्तर पर पुस्तकों का भण्डारण कक्षावार एवं विषयवार किया जायेगा। इसका सनुचित अभिलेख उस विकासखण्ड स्तरीय भण्डार पर रजिस्टर बनाकर रखेंगे। इस रजिस्टर में पुस्तक की प्राप्ति से लेकर उनके अलग-अलग तिथियों में परिवहन की जानकारी इंडेंट तथा पुस्तक प्रदाय किये जाने की डिस्पैच स्लिप की व्यवस्था रहेगी।

4.4.7- दिनांक 15/03/2009 को विकासखण्ड क्षेत्रांतर्गत सभी हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री शालाओं के प्राचार्यों की बैठक विकासखण्ड मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाये इस बैठक में शालाओं हेतु पाठ्य

पुस्तक निगम से प्राप्त होने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा क्रय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में आवश्यक रणनीति बना ली जाये।

4.4.8- दिनांक 25 मार्च 2009 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के सेट तैयार कर लिए जायें तथा 01 अप्रैल 2009 को शाला में पालक शिक्षक संघ की बैठक व प्रवेश उत्सव समारोह आयोजित कर, पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाये। छात्रों को वितरित की जाने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का नंबर शाला में प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किया जाये।

- 5- किर्सी भा स्तर पर पाठ्य पुस्तक की कमी होने पर मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल को ई-मेल mptbc@dataone तथा फेक्स क्रमांक 2551145 पर मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें।
- 6- संभागीय संयुक्त संचालक 15 मार्च से 01 अप्रैल तक ई-मेल/फेक्स के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन संभाग की स्थिति से अवगत करायेंगे।
- 7- कृपया शासन की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ समय सीमा में सभी हितग्राही छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सके इस हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।


(बी.आर. नायडू)
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांक 0 विद्या/निःशुल्क पा.पु./ए/23/2009/157


भोपाल, दिनांक 2/3/2009

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, नागो नंत्रीजी स्मृत शाला, मध्यप्रदेश शासन, कीर्सी क्रमांक-390 दिनांक 9/2/2009 के संबंध में सूचनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल कृपया अपनी ओर से भी अधीनस्थ अधिकारियों/प्राचार्यों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 4- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर।
- 5- आयुक्त, जनसंपर्क कार्यालय, बाणगंगा, भोपाल की ओर।
- 6- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल।

- 7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश की ओर निर्देश दिये जाते है कि संभागान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की डिपोवार/जिलावार प्रभावी मॉनीटरिंग की जाये। तथा दैनिक प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 9- जिला उपायुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
- 10- समस्त, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक-विद्या/नि:शुल्क पा.पु./ए/23/2009/165

भोपाल, दिनांक 3/3/2009

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना कार्यक्रम वर्ष
2009.

संदर्भ:-क्रमांक-विद्या/नि:शुल्क पा.पु./ए/23/2009/156 भोपाल, दिनांक 2/3/2009

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। तदनुसार निम्नानुसार स्थिति में ही पाठ्य
पुस्तकें विकास खण्ड से प्राप्त की जाएं :-

- 1/ विकास खण्ड स्तर तक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश, पाठ्य पुस्तक
निगम की है अतः प्रथमतः यह सुनिश्चित कर लें कि निगम द्वारा विकास खण्ड स्तर पर
पहुंचा दी गई है।
- 2/ किसी भी स्थिति में अधूरा सेट प्राप्त न किया जाये तात्पर्य यह है कि एक सेट में
नियमानुसार निगम द्वारा प्रकाशित जितनी पुस्तकें होनी चाहिए उतनी पुस्तकें होने पर ही
सेट प्राप्त किये जायें।



(बी.आर. नायडू)

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, मान० मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, की नस्ती क्रमांक-390 दिनांक 9/2/2009 के संबंध में सूचनार्थ ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 3- आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल कृपया अपनी ओर से भी अधीनस्थ अधिकारियों/प्राचार्यों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।
- 4- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर ।
- 5- आयुक्त, जनसंपर्क कार्यालय, बाणगंगा, भोपाल की ओर ।
- 6- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल ।
- 7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।
- 8- जिला उपायुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
- 9- समस्त, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश